न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

राजस्व विविध प्रार्थना–पत्र संख्या 01/2013 (2013/00008)

प्रार्थीगण

नरपतसिंह पुत्र मानसिंह राजपुरोहित, उम्र 60 वर्ष, निवासी ग्राम लूणावास कल्ला, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. घेवरराम पुत्र स्व0 भोमाराम
2. मानाराम पुत्र स्व0 भोमाराम
   जातियान् लौहार, निवासीगण ग्राम शुभदण्ड़, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
3. जसाराम पुत्र पूनमराम, जाति लौहार, निवासी ग्राम गेलावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
4. भगवतीप्रसाद पुत्र बंशीलाल, जाति ब्राह्मण के कायम मुकाम

4/1. शान्ता पत्नी स्व0 भगवतीप्रसाद
4/2. कमलेश पुत्र स्व0 भगवतीप्रसाद
4/3. देवदत्त पुत्र स्व0 भगवतीप्रसाद
4/4. संतोषकुमार पुत्र स्व0 भगवतीप्रसाद
4/5. मनीषा पुत्री स्व0 भगवतीप्रसाद
4/6. प्रियंका पुत्री स्व0 भगवतीप्रसाद
   समस्त जातियान् ब्राह्मण, निवासीगण ग्राम लूणावास कलां, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

5. प्रेमाराम पुत्र चिमनाराम, जाति जाट के कायम मुकाम

5/1. मोक्की देवी पत्नी स्व0 प्रेमाराम
5/2. भंवराराम पुत्र स्व0 प्रेमाराम
5/3. टिल्लाराम पुत्र स्व0 प्रेमाराम
5/4. बाबूराम पुत्र स्व0 प्रेमाराम
   समस्त जातियान जाट, निवासीगण बड़लिया, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

6. मांगीलाल पुत्र मंगलाराम, जाति जाट, निवासी बड़लिया, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
7. दौलाराम पुत्र मोतीराम
8. छोगाराम पुत्र मोतीरात
9. शेराराम पुत्र मोतीराम
   जातियान् जाट, निवासीगण मेहलावास, पोस्ट लूणावास कलां, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
10. ग्राम पंचायत लूणीवास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
11. राजस्थान राज्य, कलक्टर लूणी, जिला जोधपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 11:43:12 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 बरखिलाफ आदेश आवंटन कमेटी दिनांक 14.06.1971 व 17.10.1977 जिसके जरिये ग्राम लूणावास कल्ला के खसरा नम्बर 299 की भूमि का आवंटन/नियमन अप्रार्थी संख्या 1 से 9 को किया गया।

उपस्थिति

1. अधिवक्ता श्री सज्जन सिंह व भवानी सिंह (प्रार्थी)।
2. अधिवक्ता श्री रूघाराम चौधरी (अप्रार्थी संख्या 4, 5/1 से 5/4 तथा 7 से 9)।
3. अधिवक्ता श्री राजाराम चौधरी (अप्रार्थी संख्या 03)।
4. अप्रार्थी संख्या 1, 2, 6, 10 व 11 नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित।

–: आदेश :– दिनांक 10.01.2023

प्रार्थी ने यह राजस्व विविध प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 आदेश आवंटन कमेटी दिनांक 14.06.1971 व 17.10.1977 जिसके जरिये ग्राम लूणावास कल्ला के खसरा नम्बर 299 व 304/1 की कुल रकबा 90 बीघा भूमि का आवंटन/नियमन अप्रार्थी संख्या 1 से 9 के पूर्वज के नाम से किया गया को निरस्त करवाने हेतु प्रस्तुत किया है। संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम लूणावास कल्ला का खसरा नं0 299 जो राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी खालसा भूमि दर्ज था। उक्त भूमि का उपयोग आज दिनांक तक ग्रामवासियों द्वारा पशुओं के चारागाह के रूप में लिया जा रहा है। उपरोक्त खसरा नं0 299 की सरकारी खालसा भूमि को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन हेतु आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 14.06.1971 व 17.10.1977 को अप्रार्थी संख्या 01 से 09 को निम्न भूमि आवंटित की गई :–

मोडाराम पुत्र भोमाराम को खसरा नं0 472/299/1 रकबा 15 बीघा किस्म बारानी चतुर्थ, पूनमराम पुत्र मोडाराम को खसरा नं0 471/299 रकबा 15 बीघा किस्म बारानी चतुर्थ, भगवतीप्रसाद पुत्र बंशीलाल को खसरा नं0 470/299 रकबा 15 बीघा किस्म बारानी चतुर्थ, मांगीलाल पुत्र मंगलाराम को खसरा नं0 473/299 रकबा 15 बीघा किस्म बारानी चतुर्थ, मिरगो बेवा मोतीराम अन्य सहखातेदारों को खसरा नं0 471/299/1 रकबा 1[illegible] बीघा किस्म बारानी चतुर्थ, प्रेमाराम पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 11:43:12 IST
Reason: SelfAttested

चिमनाराम को खसरा नं0 304/1 रकबा 20 बीघा किस्म बारानी प्रथम एवं प्रेमाराम को खसरा नं0 472/299 रकबा 15 बीघा किस्म बारानी चतुर्थ कुल आवंटित रकबा 90 बीघा का आवंटन किया गया जबकि अप्रार्थी संख्या 1 से 9 ग्राम लूणावास कल्ला के निवासी न होकर अन्य ग्राम सिणली, बडलिया व मेहलावास के निवासी है। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी ने यह राजस्व विविध प्रार्थना–पत्र मय प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम मय शपथ–पत्र तथा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 व्यवहार प्रक्रिया संहिता मय शपथ–पत्र के पेश किया।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 4, 5/1 से 5/4 तथा 7 से 9 की ओर से अधिवक्ता श्री रूघाराम चौधरी ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से अधिवक्ता श्री राजाराम चौधरी ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 1, 2, 6, 10 व 11 नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित। अप्रार्थी अधिवक्ता श्री रूघाराम चौधरी ने दिनांक 29.03.2022 को लिखित बहस पेश की। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस दिनांक 22.12.2022 को सुनी गई।

प्रार्थी के विद्धान अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम में बतलाया कि प्रार्थी को तथाकथित आवंटन की सर्वप्रथम जानकारी जुलाई 2011 को हुई जब प्रार्थी ने नामान्तरणकरण, जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस आदि की नकले प्राप्त की। प्रार्थी द्वारा उक्त आवंटन की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन किया जो दिनांक 16.08.2011 को प्राप्त हुई। उक्त आवंटित जमीन पर अप्रार्थी संख्या 01 से 09 का कोई कब्जा काश्त नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त खसरों पर जुलाई 2011 में अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया जिसे प्रार्थी द्वारा रोका गया तथा संबंधित रिकॉर्ड की नकल प्राप्त की गई। अतः प्रथम जानकारी से उक्त प्रार्थना–पत्र अन्दर मियाद होने से प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने में जो विलम्ब हुआ है उसे क्षमा किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रार्थी ने गुणावगुण बहस में बतलाया कि आवंटन सलाहकार समिति की बैठक में अप्रार्थी संख्या 1 से 9 को आवंटन करने के साथ–साथ आवंटन समिति द्वारा ग्राम सतलाना के 7 तथा दुदिया के रसुसडंडी व करनीयाली के 05 आवेदन–पत्र (वांछित भूमि आवंटन) हेतु भूमि उपलब्ध नहीं होने अथवा आवेदकों को गत वर्ष भूमि का आवंटन कर दी जाने के कारण उक्त आवेदन–पत्रों को आवंटन समिति द्वारा निरस्त किया गया। अर्थात इससे स्पष्ट है कि आवंटन समिति द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 11:43:12 IST
Reason: SelfAttested

खसरा नं0 299 सरकारी खालसा भूमि का मौका निरीक्षण किये बिना ही आवंटन आदेश पारित किया गया। आवंटन समिति द्वारा ग्राम पंचायत लूणावास कल्ला के तत्कालीन सरपंच से खसरा नं0 299 की सरकारी खालसा भूमि के सम्बन्ध में जानकारी लिए बिना ही आवंटन कर दिया। अप्रार्थी संख्या 01 से 09 आवंटित भूमि पर आज दिन तक किसी प्रकार का कब्जा काश्त नहीं है। उपरोक्त भूमि का ग्रामवासियों द्वारा पशुओं के चारागाह के रूप में उपयोग व उपभोग लिया जा रहा है जिसके संबंध में ग्राम पंचायत लूणावास कल्ला द्वारा दिनांक 06.08.2001 को स्वीकृति दी जाकर उपरोक्त सरकारी जमीन पर श्रीमान् वन मण्डल अधिकारी वन विभाग जोधपुर द्वारा पौधे लगाने का कार्यक्रम सम्पन्न किया गया। उपरोक्त कृषि भूमि को ग्राम पंचायत लूणावास कल्ला द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव संख्या 03 लिया जाकर वन मण्डल अधिकारी महोदय को मरू प्रसार रोक परियोजना के अन्तर्गत पंचायत भूमि पर दिनांक 23.05.2006 को वृक्षारोपण सम्पन्न किया गया। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि उपरोक्त भूमि पर ग्राम पंचायत लूणावास कल्ला का ही कब्जा काश्त है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आदेश जिसके द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से 9 को आवंटित खसरा नं0 299 ग्राम लूणावास कल्ला की भूमि आवंटित की गई को निरस्त फरमावें।

प्रार्थी ने निरन्तर बहस में बतलाया कि कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 के नियम 13 (4) के तहत उस जगह किया जाएगा जहां प्रस्तावित भूमि ग्राम पंचायत में स्थित हो। उपखण्ड अधिकारी तथा सलाहकार समिति के सदस्य आवंटन हेतु प्रत्येक ग्राम का दौरा करेगें। ग्राम पंचायत को भू–आवंटन बैठक की समय, तिथि व स्थान की सूचना कम से कम एक सप्ताह पूर्व दी जायेगी जिसके सलंग्न अनाधिवासित राजकीय भूमि की सूची प्रपत्र प्रथम के कॉलम 1 से 6 तक में की गई सूचना के आधार पर तैयार कर दी जायेगी।

कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 के **नियम 14.** आवंटन की शर्तें के **नियम (3).** आवंटिती को आवंटन के प्रथम वर्ष में भूमि के कम से कम 50 प्रतिशत भाग को जोतना पड़ेगा और शेष क्षेत्र को दूसरे वर्ष में। **नियम (4).** उपखण्ड अधिकारी या तहसीलदार द्वारा निरसन नियम 21 के नियमों के अधीन किये गये किसी भी आवंटन को या तो स्व–प्रस्ताव से या किसी व्यक्ति के आवेदन–पत्र पर रदद् करने की जिला कलेक्टर को शक्ति हो [illegible] आवंटन कपट या दुर्व्यप्रदर्शन के द्वारा प्राप्त किया गया हो या [illegible] के विरुद्ध किया गया हो अथवा

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 11:43:12 IST
Reason: SelfAttested

आवंटिती ने आवंटन की शर्तों में से किसी भी शर्त को भंग किया हो। **नियम (8)**. प्रतिकार या संदाय किये बिना भूमि राज्य सरकार द्वारा पुनर्ग्रहित की जा सकेगी यदि – (क) आवंटन की शर्तों के सर्वथा अनुरूप उस पर कृषि नहीं की गई है और समुचित रूप से उसका उपयोग नहीं किया गया है। हस्तगत प्रकरण में उक्त नियमों की पालना नहीं की गई। आवंटन से आज दिनांक तक मौके पर काश्त नहीं की गई। उपतहसीलदार झंवर की फर्द मौका दिनांक 01.07.2015 से स्पष्ट है कि खसरा नं0 299 की भूमि पर कभी भी अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त नहीं रहा। उक्त मौका रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न है। उक्त आधारों पर आवंटन निरस्त योग्य होने से निरस्त फरमावें।

प्रार्थी ने बहस के अन्त में बतलाया कि अप्रार्थी संख्या 1 से 9 का उक्त खसरा नं0 299 पर कब्जा काश्त नहीं होने के बावजूद जरिये नामान्तरकरण द्वारा खातेदारी के अधिकार गलत व विधि विरूद्ध प्रदान किये गये। खसरा नं0 299 की मौके पर आज दिनांक तक तरमीम नहीं की गई है। उक्त भूमि पर समय–समय पर वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण किया जाता रहा है। प्रार्थी द्वारा खसरा नं0 299 ग्राम लूणावास कलां की गिरदवारी संवत् 2036 से 2039, 2044, 2045 से 2048, 2049 से 2052, 2069 से 2072 तथा संवत् 2079 की प्रतिलिपियाँ तथा फोटोग्राफ्स पेश की गई जिससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 से 9 द्वारा किसी प्रकार की कोई खेती नहीं की जा रही है। प्रार्थना–पत्र के अन्त में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से 9 के पक्ष में जारी आवंटन आदेश दिनांक 14.06.1971 व 17.10.1977 को निरस्त करने तथा उक्त आदेश के आधार पर प्रत्यर्थी संख्या 1 से 9 के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरकरण निरस्त करने की इस्तदुआ की। बहस के समर्थन में आर0 आर0 डी0 2018 पेज नम्बर 415 न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

प्रार्थी ने साक्ष्य के रूप में निम्न दस्तावेज पेश किये।

1. आवंटन आदेश दिनांक 14.6.71 व 17.10.1977 की प्रतिलिपि जिसके द्वारा अप्रार्थीगण को भूमि आवंटित की गई।
2. नक्शा ट्रेस खसरा नं0 299 ग्राम लूणावास कलां।
3. जिला कलक्टर को ग्राम वासियों द्वारा आवंटन निरस्त करने हेतु दिए गए प्रार्थना–पत्र की प्रतिलिपि।
4. वृक्षारोपण की स्वीकृति, ग्राम पंचायत के प्रस्ताव की प्रतिलिपि, वृक्षारोपण कार्यक्रम पत्र की प्रतिलिपि तथा वृक्षारोपण हस्तान्तरण अनुबंध की प्रतिलिपि।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 11:43:12 IST
Reason: SelfAttested

5. उप तहसीलदार झंवर द्वारा तैयार फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 01.07.2015 की प्रतिलिपि।
6. खसरा नं0 299 ग्राम लूणावास कलां की गिरदावरी संवत् 2036 से 2039 तक, 2044, 2045 से 2048 तक, 2049 से 2052 तक, 2069 से 2072 तक तथा संवत् 2079 की प्रतिलिपियाँ।
7. मौके के फोटोग्राफ्स।

अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री रूघाराम चौधरी ने बहस में बतलाया कि प्रार्थी ने मूल आवंटन को निरस्त करवाने के लिए न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो दिनांक 16.11.2012 को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होने के कारण प्रार्थी को मूल अपील लौटाने का आदेश पारित किया गया। प्रार्थी ने राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर में प्रस्तुत अपील को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ) आवंटन नियम 1970 के अनुसार प्रस्तुत नहीं किया है। प्रार्थी ने प्रभावित एवं हितबद्ध खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अधूरा होने के कारण खारिज योग्य है।

अप्रार्थीगण ने निरन्तर बहस में बतलाया कि ग्राम लूणावास कल्ला के खसरा नं0 299 खालसा भूमि होने एवं काबिल काश्त होने के कारण भूमिहीन व्यक्तियों को काश्त करने के लिए विधि अनुसार आवंटित की गई। अप्रार्थीगण वक्त आवंटन से ही मौके पर काबिज काश्त है। अप्रार्थीगण ने आवंटनशुदा भूमि को अथक प्रयासों से विकसित किया है। प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में ऐसा कोई आधार अंकित नहीं किया है जिसके आधार पर 50 वर्ष बाद आवंटन को निरस्त किया जा सके। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण पर नियम विपरीत आवंटन करने का कोई आधार प्रार्थना–पत्र में नहीं उठाया है इससे जाहिर होता है कि आवंटन विधि अनुसार किया गया है। खसरा संख्या 299 की भूमि कभी गोचर, ओरण, चारागाह भूमि नहीं रही है। इस कारण प्रार्थी आवंटन निरस्त करवाने का विधिक अधिकारी नहीं है। बहस के अन्त में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज करने की इस्तदुआ की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अध्ययन किया। प्रार्थना–पत्र का गुणावगुण निर्णय करने से पूर्व प्रार्थना–पत्र धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते हैं। प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र धारा 5 भारतीय मियाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 11:43:12 IST
Reason: SelfAttested

अधिनियम में व्यक्त किया कि उक्त आवंटन आदेश की प्रार्थी को सर्वप्रथम जानकारी जुलाई 2011 में हुई जब अप्रार्थीगण द्वारा उक्त खसरों पर अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया जिसे प्रार्थी द्वारा रोका गया तथा संबंधित रिकॉर्ड की नकल प्राप्त की गई, जानकारी तिथि से प्रार्थना–पत्र अन्दर मियाद प्रस्तुत कर दिया। अप्रार्थीगण की ओर से उक्त प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों का खण्डन नहीं किया गया और न ही काउन्टर शपथ–पत्र पेश किया। अतः न्यायहित में प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए प्रार्थना–पत्र में हुए विलम्ब को क्षम्य (Condone) किया जाता है तथा प्रार्थना–पत्र अन्दर मियाद शुमार करते हुए गुणावगुण पर निर्णय इस प्रकार किया जा रहा है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य यथा खसरा गिरदावरी संवत् 2036 से 2039, 2044, 2045 से 2048, 2049 से 2052, 2069 से 2072, संवत् 2079 में अप्रार्थीपक्ष का किसी भी वर्ष काश्त करना इन्द्राज नहीं है। वर्ष 2015 में ग्रामवासी लूणावास कलां के निवासियों द्वारा उपखण्ड अधिकारी लूणी के समक्ष गांव लूणावास कलां के पड़त पड़ी भूमि में जबरदस्ती कब्जा करने वालो को रोकने बाबत् प्रार्थना–पत्र पेश किया जिस पर नायब तहसीलदार झंवर द्वारा दिनांक 01.07.2015 को मौका पर जाकर मौका रिपोर्ट भी तैयार की गई। उक्त मौका रिपोर्ट में बताया कि खसरा नं0 299 पर आज तक कभी कोई काश्त नहीं की गई है तथा उक्त खसरा की भूमि वर्ष 2001–02 में वन विभाग को नर्सरी कार्य हेतु दी गई थी। उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि अप्रार्थीगण का विवादित भूमि पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। राजस्थान भू–राजस्व (अकृषि भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14 (3) में स्पष्ट किया गया है कि ''आवंटिती को आवंटन के प्रथम वर्ष में भूमि के कम से कम 50 प्रतिशत भाग को जोतना पड़ेगा और शेष क्षेत्र को दूसरे वर्ष में, चूंकि उक्त शर्त की पालना होने बाबत् अप्रार्थीपक्ष द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये।'' प्रार्थी की ओर से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा एस0 बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 16433/2016 निर्णय दिनांक 19.07.2017 की प्रति पेश कर न्यायालय का ध्यान आकर्षित करवाया। उक्त न्याय निर्णय में अभिनिर्धारित किया कि प्रथम वर्ष में कम से कम 50 प्रतिशत भूमि का जोतना एवं दूसरे वर्ष शेष क्षेत्र यानि 100 प्रतिशत जोत होना आवश्यक है। उक्त शर्त का उल्लंघन होने पर राजस्व न्यायालय द्वारा आवंटन आदेश को निरस्त कर दिया गया, जिसे

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 11:43:12 IST
Reason: SelfAttested

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा यथावत रखा गया। प्रस्तुत प्रकरण में यह न्याय निर्णय ग्राह्य योग्य है।

उपरोक्त विवेचनानुसार राजस्थान भू–राजस्व (अकृषि भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14 (3) में स्पष्ट किया गया है कि ''आवंटिती को आवंटन के प्रथम वर्ष में भूमि के कम से कम 50 प्रतिशत भाग को जोतना पड़ेगा और शेष क्षेत्र को दूसरे वर्ष में, चूंकि उक्त शर्त की पालना होने बाबत् अप्रार्थीगण द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः अप्रार्थीगण द्वारा उक्त शर्त का उल्लंघन करने पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियम 14(4), राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 9 को भू–आवंटन सलाहकार समिति के आदेश दिनांक 14.06.1971 व 17.10.1977 के जरिये ग्राम लूणावास कल्ला में आवंटित भूमि मोडाराम पुत्र भोमाराम को खसरा नं0 299/2 रकबा 15 बीघा किस्म बारानी चतुर्थ, पूनमराम पुत्र मोडाराम को खसरा नं0 471/299 रकबा 15 बीघा किस्म बारानी चतुर्थ, भगवतीप्रसाद पुत्र बंशीलाल को खसरा नं0 470/299 रकबा 15 बीघा किस्म बारानी चतुर्थ, मांगीलाल पुत्र मंगलाराम को खसरा नं0 473/299 रकबा 15 बीघा किस्म बारानी चतुर्थ, मिरगो बेवा मोतीराम अन्य सहखातेदारों को खसरा नं0 299/1 रकबा 15 बीघा किस्म बारानी चतुर्थ एवं प्रेमाराम पुत्र चिमनाराम को खसरा नं0 472/299 रकबा 15 बीघा किस्म बारानी चतुर्थ कुल आवंटित भूमि रकबा 90 बीघा के आवंटन को निरस्त किया जाता है तथा उसके बाद उक्त खसरे से संबंधित समस्त राजस्व इन्द्राजों को भी निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति तहसीलदार झंवर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

आदेश आज दिनांक 10.01.2023 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 11:43:12 IST
Reason: SelfAttested

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।